



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-I/30319/2025GMIROMDCL(1)/8/2025-IR 17 दिनांक 10-11-2025

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-4594-औ०सं०/2018-11-(4)एफ/86(वो-II) दिनांक 03.12.2018 एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-1294-औ०सं०/2019-11-(4)एफ/86(वो-II) दिनांक 16.05.2019 के द्वारा सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मिकों, उनके आश्रितों एवं पारिवारिक पेंशनरों के चिकित्सा बीजकों की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित अनिवार्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्राविधान है।

कारपोरेशन स्तर पर यह संज्ञान में आया है कि एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ, के०जी०एम०यू०, लखनऊ एवं अन्य सरकारी चिकित्सालयों में उपचार के उपरान्त कारपोरेशन द्वारा निर्धारित अनिवार्यता प्रमाण-पत्र का सत्यापन नहीं किया जाता है, अपितु उक्त चिकित्सालयों द्वारा अपने निर्धारित प्रारूप में चिकित्सा बीजकों का सत्यापन किया जाता है।

उक्त के दृष्टिगत कारपोरेशन में लागू व्यवस्था के अतिरिक्त सरकारी चिकित्सालयों में उपचार कराये जाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु सरकारी चिकित्सालयों द्वारा अपने निर्धारित प्रारूप में चिकित्सा बीजकों का सत्यापन करने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमन्य करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। इस अनुक्रम में सम्बन्धित कर्मिक/ पेंशनर द्वारा बीजकों के साथ अनिवार्यता प्रमाण पत्र एवं रोगी की फोटो को स्व प्रमाणित कर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया जायेगा।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या-I/30319/2025 -औ०सं०/2025/तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/एस०एल०डी०सी०लि०, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) / वित्त / वितरण / वाणिज्य / कारपोरेट प्लानिंग / आई०टी०, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, के निजी सचिव, शक्ति भवन लखनऊ।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) उ०प्र०पा०ट्रॉ०का०लि०/उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि० के निजी सचिव, शक्ति भवन लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं कानपुर।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (हाईडिल)/(जानपद-पारेषण), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
9. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट

टैक्स), उप मुख्य लेखाधिकारी / वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

10. महाप्रबन्धक (चिकित्सा),/मुख्य चिकित्सा अधिकारी उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

11. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी कर्मिकों को उपलब्ध करा दें।

12. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

14. कट फाइल।

Pranav
10/11/25
(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ०सं०)